कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद

संख्या– /दो–380¼57½ , /खण्ड–3/लाइसेंस/थो0भा0आ0दर/टेण्डर/2017–18/ दिनांक – – 2018

टेण्डर–नोटिस

(वर्ष 2018–19 में भांग की थोक आपूर्ति हेतु टेण्डर)

वर्ष **2018–19** के लिए प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित बंधित आबकारी गोदामों में भांग की थोक आपूर्ति हेतु निर्धारित प्रपत्र (आई0डी0–2) में मुहरबन्द टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। एक टेण्डर फार्म पर अधिकतम दो प्रभारों/प्रभार के जनपदों में स्थित बंधित गोदामों को भांग की आपूर्ति हेतु टेण्डर दिया जा सकता है। प्रत्येक टेण्डर रूपया **10,000/– (दस हजार)** की धरोहर धनराशि के साथ प्रस्तुत किया जायेगा। धरोहर धनराशि किसी शिड्यूल बैंक के ड्राफ्ट/फिक्सड डिपोजिट रसीद/डाकखाने के नेशनल सेविंग सर्टीफिकेट/पोस्ट आफिस सेविंग बैंक एकाउन्ट, जो आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 के पदनाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, के रूप में दी जा सकती है।

टेण्डर स्वीकृति की सूचना मिलने पर टेण्डर दाता को एक सप्ताह के अन्दर नियमों/शर्तों के यथोचित पालन के लिए जमानत के तौर पर रूपया **25,000/– (पचीस हजार)** धनराशि की किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत सावधि जमा रसीद जो आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश के पद नाम से प्लेज्ड (प्रतिश्रुत) हो, प्रतिभूति के रूप में जमा कर प्रपत्र आई0डी0–3 में अनुज्ञापन प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा धरोहर धनराशि राज्य के पक्ष में समपहृत कर ली जायेगी। निविदा प्रपत्र आई0डी0–2 की सभी प्रविष्टियों को पूर्ण करते हुए निविदा के साथ निम्न अभिलेखीय प्रमाण भी संलग्न करना अनिवार्य होगा :–

1– **निविदा के प्रपत्र आई0डी0–2 में क्रमांक–3 पर यथानिर्दिष्ट आर्थिक स्थिति के प्रमाण के रूप में न्यूनतम रूपया 1,00,000/– (एक लाख) का बैलेंस प्रदर्शित करने वाली बैंक या डाकखाने की सेविंग्स एकाउन्ट के पास–बुक की छायाप्रति या सक्षम अधिकारी के स्तर से निर्गत बैंक/डाकखाने के एकाउन्ट स्टेटमेन्ट की प्रति ही मान्य होगी।**

2– **अपने निवास के जनपद के जिलाधिकारी से प्राप्त चरित्र प्रमाण पत्र व अदेयता प्रमाण पत्र।**

3– **राजपत्रित अधिकारी द्वारा अभिप्रमाणित पासपोर्ट साइज की फोटोग्राफ, नाम, पिता का नाम, पता तथा प्रमाणित हस्ताक्षर का विवरण ।**

4– **रूपया 10/– के स्टैम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित निर्धारित प्रारूप में शपथ पत्र।**

5– **धरोहर धनराशि का विवरण।**

6– **निविदा प्रपत्र आई0डी0–2 के अनुसार पैन, वर्ष 2016–17 का आयकर रिटर्न, आवेदक के आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रति सहित अन्य सुसंगत अभिलेख।**

7– **वर्ष 2018–19 के लिए चयनित आवेदक को आई0डी0–3 अनुज्ञापन प्राप्त करने के लिए गत वर्ष/वर्षों में जमा प्रतिभूति को अग्रेनीत नहीं किया जायेगा, अपितु आवेदन पत्र के साथ नई प्रतिभूति धनराशि के रूप में किसी शिड्यूल बैंक से निर्गत रूपया 25,000/–(पचीस हजार) की सावधि जमा रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।**

8– **वर्ष 2017–18 के जिन थोक भांग आपूर्तकों को अन्य जनपदों की अतिरिक्त आपूर्ति आवंटित की गयी है, उन्हें संबंधित जनपद के जिला आबकारी अधिकारी से इस आशय का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर संलग्न करना अनिवार्य होगा, कि उनके द्वारा यथानिर्दिष्ट भांग की अतिरिक्त मात्रा की आपूर्ति जनपद को कर दी गयी है। अन्यथा की स्थिति में आपूर्तक इस आशय का एक शपथ–पत्र टेण्डर के साथ प्रस्तुत करेगा कि वह यथानिर्दिष्ट अतिरिक्त भांग की आपूर्ति संबंधित जनपद को कर देगा।**

विस्तृत विवरण एवं टेण्डर फार्म टेण्डर प्रकाशन की तिथि से **दिनांक 12–03–2018** तक किसी भी कार्य दिवस में कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171 पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद से निःशुल्क प्राप्त करके **दिनांक 13–03–2018** को मध्यान्ह **12.00** बजे तक कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, 171 पुराना ममफोर्डगंज, इलाहाबाद में जमा किये जा सकेंगे। **अपूर्ण आवेदन पत्र विचारणीय नहीं होंगे। आबकारी आयुक्त, उ0 प्र0 को यह अधिकार होगा कि वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकार अथवा अस्वीकार कर दें।**

प्राप्त मुहरबन्द टेण्डर **दिनांक 13–03–2018** को ही अपरान्ह **03.00** बजे टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश अथवा उनके द्वारा अधिकृत अधिकारी/अधिकारियों द्वारा कार्यालय आबकारी आयुक्त, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद के सभा कक्ष में खोले जायेंगे। जनपद इलाहाबाद एवं गोरखपुर से संबंधित टेंडर दिनांक 16.03.2018 को अपरान्ह 03:00 बजे उक्त कक्ष में ही टेण्डर दाताओं की उपस्थिति में खोले जाँएगें।

वित्तीय वर्ष **2018–19** के लिए थोक भांग आपूर्ति हेतु प्रभारवार, अधिकतम दरें निम्नानुसार निर्धारित की गयी हैः–

प्रभार का नाम	थोक भांग आपूर्ति दर (प्रति किलोग्राम रू0 में)
आगरा, अलीगढ़ एवं झांसी प्रभार के जनपदों के लिए	24/–
इलाहाबाद एवं चित्रकूटधाम प्रभार के जनपदों के लिए	20/–
प्रदेश के शेष प्रभारों के जनपदों के लिए	19/–

(धीरज साहू)
आबकारी आयुक्त
उत्तर प्रदेश।